रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1809] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 11, 2014/भाद्र 20, 1936
No. 1809] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 11, 2014/BHADRA 20, 1936

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2014

का.आ. 2301(अ).—जबकि, केंद्र सरकार ने नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) (इस अधिसूचना में इसके पश्चात् आर टी ई अधिनियम के रूप में उल्लिखित) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 17 अक्तूबर, 2012 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 2512(अ), दिनांक 17 अक्तूबर, 2012 के तहत उत्तराखंड राज्य सरकार को 31 मार्च, 2014 की अवधि तक छूट प्रदान की है।

और जबकि, उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने दिनांक 25 मार्च, 2014 के अपने पत्र के जरिए केन्द्र सरकार को शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के तहत 31 मार्च, 2014 के पश्चात् दो वर्ष के लिए छूट बढ़ाए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

और जबकि केन्द्र सरकार ने प्रदत्त छूट बढ़ाने के संबंध में उत्तराखंड राज्य सरकार के प्रस्ताव की जांच की है और इस पर विचार किया है।

इसलिए, अब केंद्र सरकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के तहत (इस अधिसूचना में इसमें इसके पश्चात् एनसीटीई के रूप में उल्लिखित, जहां तक कि कक्षा I से V का संबंध है, अधिसूचित की गई न्यूनतम अर्हताओं के संबंध में उत्तराखंड राज्य सरकार को प्रदान की गई छूट को बढ़ाती है और समय-समय पर यथा संशोधित, भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-III,

खण्ड 4, दिनांक 25 अगस्त, 2010 (इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना के रूप में उल्लिखित) प्रकाशित दिनांक 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना सं. एफ सं. 61-03/20/2010/एनसीटीई/(एनएंडएस) के खण्ड (i) की उप-धारा (क) में उल्लिखित पात्र व्यक्तियों को, उक्त उप-धारा के तहत विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन कक्षा I से V तक के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए 31 मार्च, 2014 से आगे अनुमति प्रदान करती है।

2. इस अधिसूचना के तहत प्रदान की गई छूट निम्नलिखित शर्तें पूरी करने के अध्यधीन 31 मार्च, 2016 की अवधि तक वैध रहेगी नामत: :—

(i) अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए एनसीटीई द्वारा जारी दिनांक 11 फरवरी, 2011 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्तराखंड राज्य सरकार समय-समय पर यथा संशोधित एनसीटीई की उक्त अधिसूचना में यथा निर्दिष्ट अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित कराएगी और उन व्यक्तियों पर, जो अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं कक्षा I से VIII के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जाएगा ।

(ii) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधन अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित भर्ती नियमों को संशोधित करेंगे ताकि, उक्त अधिसूचना के तहत अध्यापकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं को उपलब्ध कराया जा सके;

(iii) राज्य सरकार अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में उन पात्र अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देगी जिनके पास उक्त अधिसूचना में समय-समय पर यथा संशोधित न्यूनतम अर्हताएं हैं और इसके पश्चात् यह उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 3 की (i) की उप-धारा (क) में उल्लिखित अर्हताओं वाले अन्य पात्र अभ्यर्थियों पर विचार करेगी;

(iv) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए राज्य से बाहर सहित विज्ञापनों का व्यापक प्रचार किया जाएगा;

(v) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा नियोजित या नियुक्त अध्यापक, जिनके पास उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 3 के खण्ड (i) के उप-खण्ड (क) में उल्लिखित न्यूनतम अर्हताएं हैं, नियुक्ति के पश्चात् राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में छह माह का विशेष स्वीकृत कार्यक्रम करेगी।

(vi) राज्य सरकार; विनिर्दिष्ट अर्हताओं सहित व्यक्तियों को तैयार करते हुए संस्थागत क्षमता में वृद्धि करने के उपाय करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 31 मार्च, 2016 के पश्चात् कक्षा I से V के लिए केवल उक्त अधिसूचना के तहत निर्धारित अर्हताएं धारण करने वाले व्यक्ति ही अध्यापक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं।

3. उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 3 के खण्ड (i) के उप-खण्ड (क) में उल्लिखित व्यक्ति भी एनसीटीई के दिनांक 11 फरवरी, 2011 के पत्र के जरिए जारी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजन के दिशानिर्देशों के पैरा 5 के उप-पैरा (iii) के अनुसार राज्य में 31 मार्च, 2016 तक अध्यापकों की नियुक्तियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे।

[फा. सं. 1-17/2010-ईई 4]

वृंदा सरूप, अवर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2014

S.O. 2301(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers under sub-section (2) of Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009) (hereinafter in this notification referred to as the RTE Act) granted relaxation to the State Government of Uttarakhand for a period up to 31st March, 2014 *vide* notification number S.O. 2512(E), dated the 17th October, 2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 17th October, 2012.

And whereas the State Government of Uttarakhand *vide* its letter dated the 25th March, 2014 submitted a proposal to the Central Government for extension of relaxation under Sub-section (2) of Section 23 of the RTE Act for a period of two years beyond 31st March, 2014;

And whereas the Central Government examined and considered the proposal of the State Government of Uttarakhand for extension of relaxation granted.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 23 of the RTE Act, the Central Government hereby extends the relaxation to the State Government of Uttarakhand, in respect of the minimum qualifications notified by the National Council for Teacher Education (hereinafter in this notification referred to as the NCTE) under sub-section (1) of Section 23 of the RTE Act in so far as they relate to classes I to V, and allows persons referred to in sub-clause (a) of clause (i) of paragraph 3 of the notification number F. No. 61-03/20/2010/NCTE/(N&S), dated the 23rd August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th August, 2010, (hereinafter referred to as the said notification) as amended from time to time, eligible for appointment as teacher for classes I to V beyond the 31st March, 2014, subject to fulfilment of the conditions specified under the said sub-clause.

2. The relaxation granted under this notification shall be valid for a period upto the 31st March, 2016, subject to fulfilment of the following conditions, namely:—

(i) the State Government of Uttarakhand shall conduct the Teacher Eligibility Test as specified in the said notification of the NCTE as amended from time to time, in accordance with the guidelines for conducting Teacher Eligibility Test, dated the 11th February, 2011 issued by the NCTE and those persons who pass the Teacher Eligibility Test be considered for appointment as a teacher in classes I to VIII;

(ii) the State Government and other school managements shall amend the recruitment rules relating to appointment of teachers so as to provide for the minimum qualifications required for appointment of teachers laid down under the said notification;

(iii) the State Government shall in the matter of appointment of teachers give priority to those eligible candidates who possess the minimum qualifications specified in the said notification as amended from time to time and thereafter consider other candidates eligible with the qualifications referred to in sub-clause (a) of clause (i) of paragraph 3 of the said notification;

(iv) advertisement for appointment of teachers shall be given wide publicity, including outside the State;

(v) the State Government and other school managements shall ensure that teachers employed or engaged by them who possess the minimum qualifications referred to in sub-clause (a) of clause (i) of paragraph 3 of the said notification undergo after appointment, a National Council for Teacher Education (NCTE) recognised six month Special Programme in Elementary Education;

(vi) the State Government shall take steps to increase the institutional capacity for preparing persons with specified qualifications so as to ensure that only persons possessing qualifications laid down under the said notification are appointed as teachers for classes I to V after the 31st March, 2016.

3. The persons referred to in sub-clause (a) of clause (i) of paragraph 3 of the said notification, shall also be eligible for appearing in the Teacher Eligibility Test conducted by the State Government in respect of teacher appointments to be made in the State up to 31st March, 2016, in accordance with sub-paragraph (iii) of paragraph 5 of the guidelines for conducting Teacher Eligibility Test under the RTE Act issued by the NCTE *vide* its letter dated 11th February, 2011.

[F. No. 1-17/2010-EE 4]

VRINDA SARUP, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.